निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
14 /2020	14.01.2020	25.03..2021

1.प्रियंका धर्मपत्नी पुष्पेन्द्र जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर। ——प्रार्थीया

बनाम

1.सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर। ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट प्रार्थीया की और से

निर्णय

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया हे कि प्रार्थीया ग्राम श्यारोली की रहने वाली है। प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 328 रकवा 4.66 हैक्टर व 331 रकवा 3.20 हैक्टर वाके ग्राम श्यारौली में स्थित है। उक्त भूमि के 1/8 हिस्से में व खसरा नम्बर 331 रकवा 3.20 हैक्टर के खाते में प्रार्थीया का नाम रिकार्ड जमाबन्दी में पिश्ता देवी गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही नाम प्रियंका धर्मपत्नी पुष्पेन्द्रसिहं है। रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 व 2069 से 2072, 2073 से 2076 तक जमाबन्दी प्रविष्टि में सहवन से पिश्ता देवी के नाम का अंकन बाई मिस्टेक गलत अकिंत हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम प्रियंका है पहचान पत्र व पति के पहचान कार्ड तथा प्रियंका के आईकार्ड से साबित है जो दुरूस्ती काबिल है सही नाम प्रियंका का अंकन हाल जमाबन्दी में शुद्ध कर अंकित करने के आदेश प्रदान किये जावे। यह कि प्रार्थीया दिनांक 8.7.2019 को अपने नाम को रिकार्ड में सही करवाने तहसील वजीरपुर में गई तो वहां तहसीलदार ने प्रार्थीया से कहा कि धारा 136 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र नाम शुद्धी करण की कार्यवाही एस.डी.ओ. कोर्ट में करवाओ इसलिए यह प्रार्थना पत्र धारा 136 पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 328 रकवा 4.66 हैक्टर स्थित ग्राम श्यारौली खाता संख्या488 व खसरा नम्बर 331 रकवा 3.20 हैक्टर स्थित ग्राम श्यारौली खाता संख्या 406 पर अंकित पिस्ता देवी का नाम हजफ कर सही नाम प्रियंका दर्ज कर अंकन किया जावे तथा तहसील वजीरपुर को आदेशित किया जावे कि वही जमाबन्दी हाल में अंकन सही करे । प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थीया द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2065—2068, 2069—72,2073—2076

खाता संख्या 406 व 488 ग्राम श्यारौली तथा फोटोप्रति आधार कार्ड,पहचान पत्र की फोटोप्रति, भामाशाह कार्ड की फोटोप्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई । तहसीलदार वजीरपुर ने दिनांक 25.2.2021 को अपने पत्र कमांक 555 के जरिये मौका रिर्पोट पटवारी पेश की ।

बहस वकील प्राथीया सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व रिर्पोट पटवारी व तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2065—2068, 2069—72,2073—2076 खाता संख्या 406 व 488 ग्राम श्यारौली एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र व अन्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2065—2068, 2069—72,2073—2076 खाता संख्या 406 व 488 ग्राम श्यारौली में प्रार्थीया का नाम पिस्ता देवी पत्नी पुष्पेन्द्रसिहं दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात आधारकार्ड,पहचानपत्र में उसका प्रियंका दर्ज है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा की गई है। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया का नाम पिस्तादेवी के स्थान पर प्रियंका किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम श्यारौल की हाल जमाबन्दी खाता संख्या 406 व 488 में प्रार्थीया का नाम पिस्तादेवी को हजफ कर उसके स्थान पर प्रियंका दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 406 व 488 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03..2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर